भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2994

दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना

2994. **श्री इटेला राजेंदर:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना की सफलता के आधार पर और 2025-30 के लिए आरंभ की गई दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का पुनर्निवेश किया गया है, जिसमें राज्यों की सहायता हेतु योजना में मदद देने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों में सुधार किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के लिए विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली हेतु राज्य/जिलावार संस्वीकृति/व्यय की गई निधि कितनी है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग)

देश में बुनियादी ढांचे के त्वरित निर्माण को सक्षम बनाने के लिए प्रथम परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना अगस्त 2021 में शुरू की गई थी। परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के

दायरे में पहचाने गए वैधानिक संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य उपक्रमों की ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना की सफलता के आधार पर केंद्रीय बजट 2025-26 में देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में और तेजी लाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के निवेश हेतु 2025-30 की अवधि के लिए दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना में मुख्य रूप से रैखिक परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि राजमार्ग, जो अक्सर एक क्षेत्र तक सीमित होने के बजाय कई राज्यों में फैले होते हैं। तदनुसार, परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत राज्यवार/जिलावार मुद्रीकरण विवरण नहीं रखा जाता है।

*****